राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

निगरानी संख्या–117/2017/अजमेर

बनारसी पत्नि धर्मेन्द्र जाति कंजर निवासी 564, कंजर बस्ती, रामगंज, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
...प्रार्थीया

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उपपंजीयक अजमेर द्वितीय।
2. बसन्ती पत्नि भंवरलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी जेठाणा जिला अजमेर।
...अप्रार्थीगण

एकलपीठ
श्री नत्थूराम, सदस्य

उपस्थित : :
श्री रोहित सोनी
अभिभाषक
....प्रार्थियां की ओर से
श्री आर.के.अजमेरा
उप–राजकीय अभिभाषक
....अप्रार्थी सं. 1 विभाग की ओर से
तलब नहीं किया गया
...अप्रार्थियां संख्या 2

निर्णय दिनांक : 31.01.2017

निर्णय

1. यह निगरानी प्रार्थीया द्वारा विद्वान कलक्टर (मुद्रांक) अजमेर (जिसे आगे **'कलक्टर'** कहा गया है) के आदेश दिनांक 21.04.2016 प्रकरण संख्या 127/2011 के विरूद्ध राजस्थान मुद्रांक अधिनियम, 1998 (जिसे आगे **'मुद्रांक अधिनियम'** कहा गया है) की धारा 65 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय ने उपपंजीयक अजमेर द्वितीय द्वारा प्रस्तुत रेफरेन्स को स्वीकार किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अप्रार्थियां सख्या 2 से प्रार्थिया द्वारा दिनांक 07.06.10 को एक आवासीय जायदाद सं. एफ–209 वाके चन्द्रवरदाई नगर योजना, अजमेर मय निर्माण सतह मंजिल 673.5 वर्गफीट व प्रथम मंजिल पर 673.5 वर्गफीट क्रय कर दस्तावेज पंजीयन हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के समक्ष प्रस्तुत किया गया था जो कि उपपंजीयक द्वारा पंजीकृत कर प्रार्थिया को लौटा दिया गया था। तत्पश्चात् रेण्डम पद्धति पर उपंपजीयक ने रेफरेन्स कमी–मुद्रांक वसूली का अधीनस्थ न्यायालय कलक्टर मुद्रांक अजमेर के यहां प्रस्तुत किया। रेफरेन्स इस बिन्दु पर आधारित था कि मौके पर लगभग

लगातार.....2

2000 वर्गफीट निर्माण आर.सी.सी. निर्मित पाया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने एकपक्षीय कार्यवाही करते हुये निर्णय दिनांक 21.04.2016 से रेफरेन्स स्वीकार करते हुये कुल 46,350/– रूपये वसूल करने के आदेश पारित किये जिससे व्यथित होकर प्रार्थीया द्वारा यह निगरानी धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है।

3. निगरानी को ग्राह्य स्तर पर सुना गया। न्यायालय के अनुसार निगरानी में उठाये गये बिन्दुओं के आधार पर प्रकरण का निस्तारण अंतिम रूप से इसी स्तर पर किया जाना उचित है।

4. बहस विद्वान अभिभाषक उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की ओर से कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीया को विधिवत रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। मौके पर निर्माण 1347 वर्गफीट ही है तथा आज भी निर्माण 1347 वर्गफीट ही है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स के तथ्यों की कोई जांच नहीं की है तथा न ही मौका निरीक्षण किया है। अधीनस्थ न्यायायल ने बिना कोई विवेचना एंव विश्लेषण किये निर्णय पारित किया है जो विधिसम्म नहीं है। दस्तावेज को पंजीकृत किये जाने के उपरांत रेफरेन्स पोषणीय नहीं है। नियम 59बी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2002 डीएनजे (1) पृष्ठ सं. 386 द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया था जिससे रेफरेन्स को आधार बनाकर सम्पत्ति की कीमत नहीं आंकी जा सकती। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नहीं है। अतः निगरानी स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जावे।

5. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत है, अतः निगरानी खारिज की जावें।

6. हमनें पत्रावली का अवलाकेन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय निर्णय निम्न प्रकार है :–

7. प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र सशपथ होने, निर्णय गुणावगुण के आधार पर श्रेयस्कर होने की दृष्टिगत स्वीकार किया जाकर निगरानी अन्दर मियाद मानी जाती है।

9. निगरानी में प्रथम आधार यह है कि दस्तावेज को पंजीकृत करने के पश्चात् रेफरेन्स नहीं किया जा सकता।

२m

लगातार............3

धारा 51(2) के अन्तर्गत जब कोई लिखित कम मूल्यांकित हो और उसे भूल से या अन्यथा रजिस्ट्रीकृत कर दी गई हो तो उप–पंजीयक को रेफरेन्स का अधिकार है तथा ऐसा रेफरेन्स मूल दस्तावेज के बिना भी किया जा सकता है। कलक्टर (मुद्रांक) को 51(5) में ऐसे रेफरेन्स को सुनने का अधिकार है। इस प्रकार निगरानी का यह आधार स्वीकार योग्य नहीं है तथा इस न्यायालय के अनुसार उपपंजीयक रेफरेन्स प्रस्तुत करने हेतु सक्षम है। इस प्रकार निगरानी का यह आधार स्वीकार योग्य नहीं है।

10. निगरानीकर्ता का निगरानी में द्वितीय आधार यह है कि नियम 59 बी माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 2002 डीएनजे (1) पृष्ठ सं. 386 द्वारा स्ट्रक डाउन कर दिया था जिससे रेफरेन्स को आधार बनाकर सम्पत्ति की कीमत नहीं आंकी जा सकती।

माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा उपरोक्त निर्णय भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 जो कि राजस्थान में राजस्थान स्टाम्प लॉ (अडेप्टेशन) अधिनियम 1952 के द्वारा लागू किया गया था, के अन्तर्गत राजस्थान स्टाम्प नियम 1955 के नियम 59 बी के संबंध में है जबकि यह अधिनियम समाप्त हो चुका है तथा राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 1998 राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.2(3)वित्त/कर/98–11 दिनांक 27.05.04 से लागू हो चुका है जिसके अन्तर्गत राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 बनाये गये है जो इस दस्तावेज पंजीयन दिनांक 07.06.10 पर प्रभावी है। इस प्रकार यह न्यायिक दृष्टांत इस प्रकरण में लागू नहीं होता। वैसे भी उपरोक्त न्यायिक दृष्टांत प्रभावहीन है क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय ने सिविल अपील संख्या 3671–3684/2003 राजस्थान राज्य व अन्य बनाम सत्यम प्रोप्रटीज निर्णय दिनांक 29.07.2010 में 59(B) को अल्ट्रवाइरस घोषित करने को उचित नहीं माना है। इस प्रकार निगरानी का यह आधार भी स्वीकार योग्य नहीं है।

11. निगरानी में तृतीय आधार यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीया को विधिवत रूप से सुनवाई का अवसर प्रदान नहीं किया है। मौके पर निर्माण 1347 वर्गफीट ही है तथा आज भी निर्माण 1347 वर्गफीट ही है। अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स के तथ्यों की कोई जांच नहीं की है तथा न ही मौका निरीक्षण किया है। अधीनस्थ न्यायायल ने बिना कोई विवेचना एंव विश्लेषण किये निर्णय पारित किया है जो विधिसम्मत नहीं है।

२m/

लगातार.....4

विचाराधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने रेफरेन्स के तथ्यों को स्वीकार किया है परन्तु कोई विवेचना एवं विश्लेषण नहीं किया है। रेफरेन्स के तथ्यों केसंबंध में कोई जांच भी नहीं की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय को राजस्थान मुद्रांक नियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुये निर्णय पारित करना चाहिए था। अधीनस्थ न्यायालय का दायित्व बनता है कि उसके समक्ष प्रस्तुत प्रकरण में उठाये गये बिन्दुओं की विवेचना करने के उपरान्त ही उन्हें मानने या न मानने पर तथ्यों पर आधारित अपना मत प्रकट करते, जिससे अधीनस्थ न्यायालय के आदेश/निर्णय के विरूद्ध अपील होने पर सम्बन्धित न्यायालय अपना निर्णय पारित करें कि अवर अधिकारी का निर्णय न्याय संगत है अथवा नहीं। किन्तु प्रस्तुत निगरानी में कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा ऐसा नहीं किया गया, जिसे उचित नहीं कहा जा सकता। अपीलीय अधिकारी का दायित्व बनता है कि वह सचेतन मस्तिष्क का प्रयोग करते हुए निष्पक्ष अभिव्यक्ति दें। इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय की खण्डपीठ के सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, वर्क्स कान्ट्रेक्ट एवं लीजिंग टैक्स,कोटा बनाम मैसर्स शुक्ला एड ब्रदर्स

(Civil Appeal No. Nil of 2010/S.L.P.(C)No. 16466 of 2009), date 15.4.2010) में पारित किय गये निर्णय के कुछ अंश उद्धृत किया जाना उक्त परिप्रेक्ष्य में समीचीन होगा :–

".... To subserve the purpose of justice delivery system therefore, it is essential that the Courts should record reasons for its conclusions whether disposing of the case at admission stage or after regualr hearing."

"A litigant has legitimate expectatoion of knowing reasons for rejection of his claim/payer. It is then alone, that a party would be in a position to challenge the order on appropriate grounds. As arguments bring things hidden and obscure to the light of reasons, reasoned judgment where the law and factual matrix of the case it discussed provided lucidity and foundation for conclusions or exercise of judicial discretation by the Courts. Reason is the very life of law. When the reason of a law once ceases, the law itself generally cease. Such is the signifucance of reasoning in any rule of law. Giving reasons furthers the cause of justice as well as avoids uncertainty. As a matter of fact it helps in the observance of law of precedent . Absence of reasons on the contrary essentially introduces an element of uncertainty, dissatisfaction and give entirely different dimensions to the questions of law raised before the higher appellate Courts. When reasons are announced and can be weighed, the public can have assurance that process of corection is in place and working. It is requirement of law that correction process of judgments should not only appeaaar to be implemented but also to have been properly implemented. Reasons for an order would ensure and enhance public

लगातार.....5

confidence and would provide due satisfaction to the consumer of justice under our justice dispensation system." उपरोक्त विधिक धारणा से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधिसम्मत नही है तथा निगरानी का यह आधार स्वीकार योग्य है।

12. इस प्रकार निगरानी के प्रथम दो आधार स्वीकार योग्य नहीं है परन्तु निगरानी का तृतीय आधार स्वीकार योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि निगरानीधीन निर्णय एकपक्षीय पारित किया गया हैं तथा यदि प्रकरण में निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाकर प्रतिप्रेषित किया जाता है तो न्यायिक दृष्टिकोण से प्रार्थी को सुनवाई का भी समुचित अवसर मिल सकेगा।

13. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विवेचना–विश्लेषण सहित निर्णय पारित नही करने के कारण विधिसम्मत नही होने के कारण निगरानी आंशिक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय के निगरानीधीन आदेश निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे उभयपक्ष को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देते हुए, राजस्थान मुद्रांक अधिनियम 2004 के नियम 65 की पालना करते हुए एवं नियम 65(4)(IV) के अनुसार मौका देखकर प्रार्थीयां के इस कथन की जांच करते हुए कि मौके पर आज भी निर्माण दस्तावेज के अनुसार 1347 वर्गफीट है, या रेफरेन्स के अनुसार 2000 वर्गफीट है, ~~अधिक~~ के संबंध में जांच करते हुए पूर्ण विवेचना एवं विश्लेषण करते हुए पुनः नियमानुसार एवं विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 06.03.2017 को पेश हों।

14. निर्णय सुनाया गया।

(नत्थूराम)
सदस्य